

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2020

जयपुर, दिनांक : 06.09.2020


आदेश

विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 04.09.2020 के द्वारा निदेशालय में आदेशों की प्रतीक्षारत 64 चिकित्सकों को कोविड-19 के समुचित प्रबन्धन व उपचार हेतु राजकीय जयपुरिया अस्पताल, जयपुर में कार्य व्यवस्था के अन्तर्गत लगाया गया था। उक्त चिकित्सकों में निम्न चिकित्सकों को कोविड-19 के समुचित प्रबन्धन व उपचार हेतु राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर में कार्य व्यवस्था के अन्तर्गत अग्रिम आदेशों तक तुरन्त प्रभाव से लगाया जाता है:-

क्र. सं.	चिकित्सक का नाम व पद
1.	डा० राजेन्द्र कुमार कूडी, चि०अ० (निश्चेतन)
2.	डा० मुकेश यादव, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (निश्चेतन)
3.	डा० पीयूष शर्मा, चिकित्सा अधिकारी (निश्चेतन)
4.	डा० सौरभ कुमार शर्मा, चिकित्सा अधिकारी (निश्चेतन)
5.	डा० सत्यवीर, चिकित्सा अधिकारी (निश्चेतन)
6.	डा० हरीश कुमार, चिकित्सा अधिकारी (निश्चेतन)
7.	डा० जितेन्द्र मेवाडा, चिकित्सा अधिकारी (निश्चेतन)
8.	डा० विजय सिंह, चिकित्सा अधिकारी (निश्चेतन)
9.	डा० अभिषेक कुमार गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी (निश्चेतन)
10.	डा० सत्येन्द्र पंचोली, चिकित्सा अधिकारी (निश्चेतन)
11.	डा० चन्द्र प्रकाश सैनी, चिकित्सा अधिकारी (मेडिसिन)
12.	डा० उमा शंकर कुमावत, चिकित्सा अधिकारी (मेडिसिन)
13.	डा० दौलत सिंह चौहान, चिकित्सा अधिकारी (मेडिसिन)
14.	डा० सिद्धार्थ चौहान, चिकित्सा अधिकारी (मेडिसिन)
15.	डा० पंकज मंगल, चिकित्सा अधिकारी (मेडिसिन)
16.	डा० अविकेश अग्रवाल, चिकित्सा अधिकारी (मेडिसिन)
17.	डा० गिरधारी लाल जाट, चिकित्सा अधिकारी (मेडिसिन)
18.	डा० महेन्द्र सिंह, चिकित्सा अधिकारी (मेडिसिन)
19.	डा० प्रवीण शर्मा, चिकित्सा अधिकारी (मेडिसिन)
20.	डा० विष्णु गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी (मेडिसिन)

उक्त अधिकारी आज ही अपनी उपस्थिति अधीक्षक, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर को देकर निदेशक, जन स्वास्थ्य को अवगत करायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,




(संजय कुमार)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय
2. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर
6. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर
7. अधीक्षक एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जयपुरिया अस्पताल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त 20 चिकित्सकों को आज ही राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर के लिए कार्यमुक्त कर इस विभाग को अवगत करावें।
8. संबंधित अधिकारी
9. कम्प्यूटर सेल



शासन उप सचिव